विषय-वस्तु

पैरा नं.	विवरण	पृष्ठ सं.
क.	उद्देश्य	1
ख.	वर्गीकरण	1
ग.	पिछले अनुदेश	1
घ.	प्रयोज्यता	1
1	प्रस्तावना	2
2	दिशानिर्देश	2
2.1	सामान्य दिशानिर्देश	2
2.2	गारंटी कारोबार के परिचालन के संबंध में दिशानिर्देश	3
2.2.1	गैर-जमानती अग्रिमों और गारंटियों के लिए मानदंड	3
2.2.2	गारंटियां जारी करने के लिए सावधानी	4
2.2.3	धोखा-धड़ियों से बचने के लिए एहतियात	5
2.2.4	घोष समिति की सिफारिशें	5
2.2.5	आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां	5
2.2.6	बैंकों के निदेशकों की ओर से गारंटियां	6
2.2.7	भारत सरकार की बैंक गारंटी योजना	6
2.2.8	शेयर और स्टॉक दलालों/पण्य दलालों की ओर से गारंटियां	7
2.2.9	ऋण लेनेवाले प्रतिष्ठानों के प्रोमोटरों, निदेशकों, अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों और शेयरधारकों की व्यक्तिगत गारंटियां प्राप्त करने के संबंध में दिशानिर्देश	8
2.2.10	राज्य सरकार की गारंटियां	10
2.3	अन्य शर्तें- निर्यात के लिए बोली बांड और कार्य निष्पादन गारंटी जारी किया जाना	11
2.3.1	भारतीय निर्यातकों की ओर से विदेशी नियोक्ताओं/आयातकों के पक्ष में बिना शर्त गारंटी	11
2.3.2	परियोजना निर्यातों के मामले में कुछ सावधानियां	11
2.3.3	निर्यात अग्रिम के लिए गारंटियां	12
2.3.4	बैंक प्रक्रियाओं की समीक्षा	13
2.3.5	विदेशी निवेश - किसी विदेशी संस्था या उसकी किसी उप अनुषंगी संस्था की ओर से गारंटी	13
2.4	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों या अन्य गैर-बैंक संस्थाओं के पास निधियां रखने की गारंटी पर प्रतिबंध	13
2.5	लागू की गयी गारंटियों की अदायगी	17
2.6	बिलों की सह-स्वीकृति	19
2.6.1	सामान्य	19
2.6.2	सुरक्षा के उपाय	19
2.7	साखपत्रों के मामले में बरती जाने वाली सावधानी	22
2.8	विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 के विनियमों का अनुपालन	23
2.9	विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन	23
अनुबंध 1	बैंक गारंटी बांड का मॉडल फार्म	24
अनुबंध 2	समेकित परिपत्रों की सूची	27

मास्टर परिपत्र - गारंटियाँ और सह-स्वीकृतियाँ

क. उद्देश्य

इस मास्टर परिपत्र में बैंकों द्वारा गारंटी कारोबार के परिचालन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों को समेकित किया गया है।

ख. वर्गीकरण

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सांविधिक निदेश।

ग. पिछले अनुदेश

यह मास्टर परिपत्र इसके परिशिष्ट में शामिल परिपत्रों में दिए गए अनुसार उपर्युक्त विषय पर जारी पिछले अनुदेशों को समेकित और अद्यतन करता है ।

घ. प्रयोज्यता

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक।

1. प्रस्तावना

किसी बैंकिंग संस्था की सुदृढ़ता के संबंध में निर्णय करने के लिए एक महत्वपूर्ण कसौटी न केवल उसके आस्ति संविभाग बल्कि उसकी आकस्मिक देयता संबंधी प्रतिबद्धताओं जैसे गारंटियां, साखपत्र आदि का आकार और स्वरूप भी है। कारोबार के अंग के रूप में, बैंक विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करते हैं। बैंकों द्वारा निष्पादित गारंटियों में कार्यनिष्पादन गारंटियां और वित्तीय गारंटियां दोनों शामिल होती हैं। ये गारंटियां करार की शर्तों, जैसे सुरक्षा, परिपक्वता अवधि और प्रयोजन के अनुसार तैयार की जाती हैं। बैंकों को अपने गारंटी कारोबार के परिचालन में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए।

2 दिशानिर्देश

2.1 सामान्य दिशानिर्देश

2.1.1 जहां तक गारंटी के प्रयोजन का संबंध है, सामान्यतया बैंकों को अपने को वित्तीय गारंटियों के प्रावधान तक सीमित रखना चाहिए और कार्यनिष्पादन गारंटी कारोबार के संबंध में पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए।

2.1.2 जहां तक परिपक्वता अवधि का संबंध है, सामान्यतया बैंकों को छोटी परिपक्वता अवधियों को गारंटी देनी चाहिए और लंबी परिपक्वता अवधियों को अन्य संस्थाओं द्वारा गारंटी दिये जाने के लिए छोड़ देना चाहिए।

2.1.3 कोई भी बैंक गारंटी सामान्य तौर पर 10 वर्ष से अधिक की परिपक्वता की नहीं होनी चाहिए। तथापि, जहां बैंक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 10 वर्ष से लंबी अवधियों के लिए दीर्घावधि ऋण प्रदान करते हैं, यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को 10 वर्ष की अवधि से भी अधिक अवधियों के लिए गारंटियां जारी करने की अनुमति भी दी जाए। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ऐसी गारंटियां जारी करते समय अत्यधिक लंबे समय वाली गारंटियों का उनके आस्ति देयता प्रबंधन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में ले। साथ ही, बैंक अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए गारंटियां जारी करने के संबंध में उचित समझी गई नीति विकसित करें।

2.1.4 बैंकों को, सामान्य तौर पर, उन घटकों को/उनकी ओर से गैर-निधि आधारित सुविधाएं जारी करने से बचना चाहिए, जो उनके साथ ऋण सुविधाओं का लाभ नहीं लेते हैं। हालांकि, बैंकों को उन ग्राहकों को आंशिक ऋण वृद्धि[1], सहित गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति है, जो भारत में किसी भी बैंक से किसी भी निधि आधारित सुविधा का लाभ नहीं उठाते हैं। ऐसी सुविधाओं का प्रावधान ऐसे उधारकर्ताओं को गैर-निधि आधारित सुविधा प्रदान करने के लिए एक व्यापक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होगा। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि उधारकर्ता ने भारत में कार्यरत किसी भी बैंक से कोई निधि आधारित सुविधा नहीं ली है। हालांकि, गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्रदान करते समय, बैंक ग्राहक से अन्य बैंकों से गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाओं के बारे में घोषणा प्राप्त करेंगे, जो पहले से ही उनके द्वारा प्राप्त की जा रही हैं। बैंक उसी स्तर का ऋण मूल्यांकन करेंगे जो निधि आधारित सुविधाओं के लिए निर्धारित किया गया है। केवाईसी/एएमएल/सीएफटी से संबंधित अनुदेश, क्रेडिट सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करना और बैंकों पर लागू अन्य विवेकपूर्ण मानदंड, जिसमें समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी किए गए एक्सपोजर मानदंड शामिल हैं, का पालन ऐसी सभी सुविधाओं के संबंध में किया जाएगा। हालांकि, बैंकों को गैर-ग्राहकों के अप्रतिबंधित एलसी पर बातचीत करने से

---

[1] जैसा कि नीचे पैराग्राफ 2.4.3.1.(vi) में निर्धारित है

निषेध किया गया है। ऐसे मामलों में जहां एलसी के तहत आहरित बिलों का बेचान किसी विशेष बैंक तक सीमित है और एलसी का लाभार्थी उस बैंक का ग्राहक नहीं है, बैंक के पास ऐसे एलसी पर बेचान करने का विकल्प, इस शर्त के अधीन होगा कि आगम को लाभार्थी के नियमित बैंकर को प्रेषित किया जाता है।

2.1.5 इसके अलावा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सहकारी बैंकों के ग्राहकों को अब तक की अनुमति के अनुसार सहकारी बैंक की काउंटर गारंटी के खिलाफ बीजी / एलसी जारी किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, बैंकों को समय-समय पर संशोधित दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र ऋण और अग्रिम-सांविधिक और अन्य प्रतिबंध के पैरा 2.3.8.2 के प्रावधानों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे मामलों में बैंकों को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि संबंधित सहकारी बैंकों के पास ठोस क्रेडिट मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली के साथ-साथ अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) व्यवस्था मजबूत है। सहकारी बैंकों के विशिष्ट घटकों को बीजी/एलसी जारी करने से पहले, उन्हें स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि इन मामलों में केवाईसी जांच ठीक से की गई है।

2.1.6 मूल कंपनियों की गारंटी उन अनुषंगियों के मामले में प्राप्त की जा सकती है जिनकी अपनी वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं मानी जाती है।

2.2 गारंटी कारोबार के परिचालन के संबंध में दिशानिर्देश

2.2.1 गैर-जमानती अग्रिमों और गारंटियों के लिए मानदंड

(i) 17 जून 2004 तक बैंकों को गैर-जमानती गारंटियों के रूप में किये गये अपने वायदों को इस प्रकार सीमित रखना आवश्यक था कि बैंक की बकाया गैर-जमानती गारंटियों का 20 प्रतिशत तथा उसके बकाया गैर-जमानती अग्रिमों का जोड़ उसके कुल बकाया अग्रिमों के 15 प्रतिशत से अधिक न हो। बैंकों को उनकी ऋण नीतियों के संबंध में अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से बैंकों के गैर-जमानती एक्सपोज़र की वर्तमान सीमा को निकाल दिया गया है। बैंकों के बोर्ड अपने गैर-जमानती ऋणों के संबंध में अपनी नीतियां निर्धारित कर सकते हैं। "गैर जमानती एक्सपोज़र" को ऐसे एक्सपोज़र के रूप में परिभाषित किया गया है जहां बैंक/अनुमोदित मूल्यांककों /भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा मूल्यांकित जमानत का वसूली योग्य मूल्य आरंभ से ही एक्सपोज़र के 10 प्रतिशत मूल्य से अधिक नहीं है। एक्सपोज़र में समस्त निधिक तथा गैर-निधिक एक्सपोज़र (जिनमें हामीदारी तथा उसी प्रकार की प्रतिबद्धताएं शामिल हैं) शामिल होंगे। `जमानत' का अर्थ होगा बैंक को उचित ढंग से प्रभारित मूर्त जमानत और उसमें गारंटियों, लेटर ऑफ कम्फर्ट आदि जैसी अमूर्त जमानत शामिल नहीं होंगी।

(ii) बैंक के प्रकाशित तुलन पत्र की अनुसूची 9 में प्रकट करने हेतु बेजमानती अग्रिमों की राशि निर्धारित करने के लिए बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (इनफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं सहित) के संबंध में बैंकों को संपार्श्विक के रूप में दिये गये अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकारों आदि की गणना मूर्त प्रतिभूति के रूप में नहीं की जानी चाहिए। तथापि बैंक सड़क/राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में निर्माण-परिचालन-स्थानांतरण (बीओटी) मॉडल के अंतर्गत वार्षिकी को और जहां यातायात का एक सुनिश्चित स्तर हासिल न कर पाने की स्थिति में परियोजना प्रायोजक को क्षतिपूर्ति करने के प्रावधान हों उन मामलों में महसूल संग्रह अधिकारों को मूर्त प्रतिभूति मान सकते हैं बशर्ते वार्षिकी प्राप्त करने

तथा महसूल संग्रह करने के संबंध में बैंकों के अधिकार विधिक रूप से लागू करने योग्य और अप्रतिसंहरणीय हों।

(iii) गैर-जमानती अग्रिमों की गणना के लिए दी गयी सभी छूट वापस ले ली गयी है ।

2.2.2 गारंटियां जारी करने के लिए सावधानी

बैंकों को अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करते समय निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए।

(i) नियमत:, बैंकों को बड़ी राशियों के लिए और मध्यावधि तथा दीर्घावधि के लिए गैर-जमानती गारंटियां देने से बचना चाहिए। उन्हें ग्राहकों के खास समूहों और / या व्यापार में ऐसी गैर-जमानती गारंटी प्रतिबद्धताओं के अनुचित संकेंद्रण से बचना चाहिए।

(ii) किसी एक ग्राहक को दी गयी गैर-जमानती गारंटियाँ बैंक की कुल गैर-जमानती गारंटियों के उचित अनुपात तक सीमित रहनी चाहिए। किसी व्यक्ति की ओर से दी जानेवाली गारंटियां भी उस ग्राहक की ईक्विटी के तर्कसंगत अनुपात में होनी चाहिए।

(iii) अपवादात्मक मामलों में, बैंक ऐसे प्रथम श्रेणी के ग्राहकों को सामान्य राशि के लिए गैर-जमानती आधार पर आस्थगित अदायगी गारंटियां दे सकते हैं जिन्होंने सरकार की नीति के अनुरूप आस्थगित अदायगी व्यवस्थाएं की हैं।

(iv) किसी एक ग्राहक या ग्राहकों के समूह की ओर से निष्पादित गारंटियां निर्दिष्ट एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन होनी चाहिए।

(v) इसे ध्यान में रखना आवश्यक है कि गारंटियों में अंतर्निहित जोखिम होता है और आम तौर पर यह बैंक के हित में या जनता के हित में नहीं होता कि पार्टियों को अपने वायदों से आगे बढ़ने और गारंटी सुविधाओं की आसानी से उपलब्धता पर पूरी तरह निर्भर रह कर उद्यम प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

2.2.3 धोखाधड़ियों से बचने के लिए एहतियात

ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करते समय बैंकों द्वारा निम्नलिखित सुरक्षा उपाय अपनाये जाने चाहिए:

(i) वित्तीय गारंटियां जारी करते समय, बैंकों को इस बात से आश्वस्त होना चाहिए कि यदि बैंक को गारंटी के अंतर्गत अदायगी करनी पड़े तो ग्राहक बैंक को उसकी प्रतिपूर्ति करने की स्थिति में होगा।

(ii) कार्यनिष्पादन गारंटी के मामले में, बैंकों को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए और ग्राहक के साथ अपने आपको इस बात से संतुष्ट करने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए कि संविदा के अंतर्गत दायित्वों को निभाने के लिए ग्राहक के पास आवश्यक अनुभव, क्षमता और साधन हैं तथा उसके द्वारा किसी प्रकार की चूक की संभावना नहीं है।

2.2.4 घोष समिति की सिफारिशें

बैंकों को अक्तूबर 1991 में गठित उच्चस्तरीय समिति (अध्यक्ष : श्री ए घोष, रिज़र्व बैंक के तत्कालीन उप गवर्नर) द्वारा की गयी निम्नलिखित सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहिए :

(i) बेहिसाब गारंटियां जारी करने से रोकने तथा जाली गारंटियों को रोकने के उद्देश्य से भारतीय बैंक संघ द्वारा सुझाये गये अनुसार बैंक गारंटियां क्रमवार संख्या वाले प्रतिभूति फार्म में जारी की जायें।

(ii) गारंटी अग्रेषित करते समय बैंकों द्वारा लाभार्थियों को सतर्क किया जाना चाहिए कि वे अपने हित में जारीकर्ता बैंक के साथ गारंटी की प्रामाणिकता की जाँच कर लें।

2.2.5 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां

50,000 रुपये और अधिक के लिए जारी की गयी बैंक गारंटियां दो पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए। बैंकों द्वारा, जहां आवश्यक समझा जाये वहां शाखाओं के आकार और श्रेणी के अनुसार निम्नतर सीमा निर्धारित की जाये। इस प्रकार की प्रणाली एकल हस्ताक्षरकर्ता के गलत प्रत्यक्ष ज्ञान /निर्णय या ईमानदारी /निष्ठा की कमी से होनेवाली कुप्रथाओं /हानियों की संभावना को कम करेगी। बैंकों को इन अनुदेशों की भावना को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रणालियां और क्रियाविधियां बनानी चाहिए और केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही दो हस्ताक्षरों के अनुशासन से हटने की अनुमति देनी चाहिए। ऐसे मामलों में अपने पदाधिकारियों द्वारा धोखाधड़ियों और कुप्रथाओं को रोकने के लिए प्रणालियों और क्रियाविधियों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बैंकों के सर्वोच्च प्रबंध तंत्र की होगी। यदि लिखतों पर केवल एक हस्ताक्षर करने की अपवादात्मक अनुमति दी जाती है, तो बैंकों में ऐसे लिखतों की शाखाओं के आंतरिक निरीक्षण के समय लेखा-परीक्षकों या निरीक्षकों द्वारा विशेष जांच की प्रणाली होनी चाहिए।

2.2.6 बैंकों के निदेशकों की ओर से गारंटियां

2.2.6.1 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 में बैंकों के अपने किसी निदेशक या ऐसी किसी फर्म या कंपनी को ऋण या अग्रिम देने पर प्रतिबंध है, जिसमें उनका कोई निदेशक भागीदार या गारंटीदाता है।तथापि , कतिपय ऐसी सुविधाओं को जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ गारंटियां जारी करना शामिल है, उसी अधिनियम की धारा 20 के अर्थ के भीतर `ऋण और अग्रिम' के रूप में नहीं माना जाता है। इस संबंध में, अपने निदेशकों की ओर से गारंटियां देनेवाले बैंकों के विशेष संदर्भ में यह नोट करना प्रसंगानुकूल है कि अपनी देयता निभाने में मूल देनदार द्वारा चूक किये जाने और गारंटी के अधीन अपने दायित्व को पूरा करने के लिए बैंक को कहे जाने की स्थिति में बैंक और निदेशक का संबंध लेनदार और देनदार का बन सकता है। साथ ही, निदेशक बैंक द्वारा दी गयी गारंटी पर तीसरी पार्टी से उधार लेकर धारा 20 के उपबंधों की अपवंचना भी कर सकेगा। यदि बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाते हैं कि अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत उन पर देयताएं न आयें तो इस तरह के लेनदेनों के कारण इस धारा का उद्देश्य ही विफल हो सकता है।.

2.2.6.2 उपर्युक्त को देखते हुए, बैंकों को निदेशकों और ऐसी कंपनियों / फर्मों की ओर से जिनमें निदेशक का हित है, गैर-निधिक सुविधाएं जैसे गारंटियां आदि देते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि -

i. बैंक की संतुष्टि के अनुसार इस बात की पर्याप्त और कारगर व्यवस्थाएं की गयी हैं कि जिसकी ओर से गारंटी जारी की गयी है उस पार्टी द्वारा अपने संसाधनों से वायदे पूरे किये जायेंगे, और

ii. बैंक को गारंटी लागू करने के परिणामस्वरूप देयता पूरी करने के लिए कोई ऋण या अग्रिम प्रदान करने के लिए नहीं कहा जायेगा।

यदि उपर्युक्त (ii) के अनुसार ऐसी आकस्मिकताएं आती हैं, तो बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के उपबंधों के उल्लंघन का एक पार्टी माना जायेगा।

2.2.7 भारत सरकार की बैंक गारंटी योजना[2]

2.2.7.1 संविदाकर्ताओं द्वारा जमानती जमाराशि आदि के बदले केन्द्रीय सरकारी विभागों के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनायी गयी बैंक गारंटी योजना में समय-समय पर संशोधन किया गया है। इस योजना के अधीन सरकारी विभागों को यह छूट है कि वे सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से मुक्त रूप से गारंटियां आदि स्वीकार करें।

2.2.7.2 बैंकों को अनुबंध-। में दिया गया बैंक गारंटी बांड का मॉडल फार्म अपनाना चाहिए। भारत सरकार ने सभी सरकारी विभागों / सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, आदि को यह सूचित किया है कि वे मॉडल बांड में बैंक गारंटियां स्वीकार करें तथा यह सुनिश्चित करें कि जब भी उसके खंडों में परिवर्तन / परिवर्धन करना जरूरी समझा जाये तब वह इकतरफा न हो तथा वे गारंटी देनेवाले बैंक के साथ सहमति से किये जायें।बैंकों को गारंटी बांडों और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ अपने पत्राचार में लाभान्वित होनेवाले विभाग के नाम तथा जिस प्रयोजन के लिए गारंटियां निष्पादित की जा रही हैं उसका उल्लेख करना चाहिए। संबंधित विभागों के साथ गारंटियों का तत्काल पता लगाने के लिए यह आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति के नाम सरकारी विभागों के पक्ष में बैंकों द्वारा दी गयी गारंटियों के संबंध में, उनके बारे में कोई भी पत्राचार संबंधित मंत्रालय / विभागों के साथ किया जाना चाहिए, न कि भारत के राष्ट्रपति के साथ।

2.2.8 शेयर और स्टॉक दलालों /पण्य दलालों की ओर से गारंटियां

बैंक जमानती जमाराशियों के बदले स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में शेयर और स्टॉक दलालों की ओर से उस सीमा तक गारंटियां जारी कर सकते हैं जिस सीमा तक वह स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित बैंक गारंटी के फार्म में स्वीकार्य हो। बैंक स्टॉक एक्सचेंजों के विनियमों के अनुसार मार्जिन आवश्यकताओं के बदले गारंटियां भी जारी कर सकते हैं। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे ऐसी गारंटियां जारी करते समय 50 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन प्राप्त करें। बैंकों द्वारा जारी इस प्रकार की गारंटियों के संदर्भ में 25 प्रतिशत का न्यूनतम नकद मार्जिन (50 प्रतिशत के उपर्युक्त मार्जिन के भीतर) रखा जाना चाहिए। 50 प्रतिशत की उपर्युक्त न्यूनतम मार्जिन अपेक्षा तथा 25 प्रतिशत की न्यूनतम नकदी मार्जिन अपेक्षा (50 प्रतिशत मार्जिन के भीतर) के पक्ष में पण्य दलालों की ओर से बैंकों द्वारा पण्य एक्सचेंज विनियामावली के अनुसार मार्जिन अपेक्षाओं के बदले जारी की गयी गारंटियों पर भी लागू होगी। बैंकों को प्रत्येक आवेदक की जरूरत का मूल्यांकन करना चाहिए तथा ऋण आदि जोखिम संबंधी उच्चतम सीमाओं सहित सामान्य और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए।

---

[2] महा निदेशक, आपूर्ति और निपटान (डीजीएसएंडडी) के पक्ष में जारी बैंक गारंटियों से संबंधित पैराग्राफ 2.2.7.2 के तहत पिछली अनुदेशों को निरस्त कर दिया गया है क्योंकि डीजीएसएंडडी को बंद कर दिया गया है और परिचालन बंद कर दिया गया है।

2.2.8.1 अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताएं – वित्तीय गारंटियां

म्यूच्युअल फंडों तथा एफपीआई की ओर से विभिन्न शेयर बाजारों को अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताएं जारी करने वाले बैंकों को सूचित किया गया था कि वे जोखिम कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय करें :

केवल उन्हीं अभिरक्षक बैंकों को अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताएं जारी करने की अनुमति दी जाएगी जो अपने ग्राहकों के साथ किए जाने वाले करार में ऐसी शर्त शामिल करेंगे जो उन्हें किसी निपटान के बाद अदायगी के रूप में प्राप्त होने वाली प्रतिभूतियों पर अविच्छिन्न अधिकार प्रदान करती हो। तथापि, जिन मामलों में लेनेदेन पूर्व–निधीकृत हों अर्थात ग्राहक के खाते में स्पष्ट आईएनआर निधियां हों और विदेशी मुद्रा लेनदेन के मामले में अभिरक्षक बैंकों द्वारा अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धता जारी करने से पहले बैंक के नोस्ट्रो खाते में निधि जमा करा दी गई हो, ग्राहकों के साथ किए जाने वाले करार में ऐसी शर्त की अनिवार्यता पर जोर नहीं दिया जाएगा जो उन्हें किसी अदायगी के रूप में प्राप्त होने वाली प्रतिभूतियों पर अविच्छिन्न अधिकार प्रदान करती हो।

सीएमई की गणना के संबंध में, आवश्यक अनुदेश एक्सपोजर मानदंडों पर 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र के पैरा 2.3.5 में भी शामिल किया गया

2.2.9 ऋण लेनेवाले प्रतिष्ठानों के प्रोमोटरों, निदेशकों, अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों और शेयरधारकों की व्यक्तिगत गारंटियां प्राप्त करने के संबंध में दिशानिर्देश

जब किसी मामले की सावधानीपूर्वक जांच के बाद अत्यंत जरूरी हो केवल तभी सरकारी अथवा निजी क्षेत्र की कंपनियों को दी गयी ऋण सुविधाओं आदि के लिए बैंक प्रोमोटारों, निदेशकों, अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों अथवा मुख्य शेयरधारकों की व्यक्तिगत गारंटियां ले सकते हैं, साधारण तौर पर नहीं। ऐसी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जिनमें गारंटी आवश्यक समझी जा सकती है या आवश्यक नहीं समझी जा सकती है, बैंक मोटे तौर पर निम्नलिखित बातों को अपना सकते हैं :

ए. जहां गारंटियां आवश्यक नहीं समझी जातीं

(i) सामान्यत:, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में, जब ऋण देनेवाली संस्थाएं प्रबंधन, प्रतिष्ठान में उसके हिस्से, प्रस्ताव की आर्थिक व्यवहार्यता तथा वित्तीय स्थिति और नकदी निर्मित करने की क्षमता के बारे में संतुष्ट हों, तो व्यक्तिगत गारंटी पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। दरअसल, व्यापक रूप से स्वाधिकृत ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में जिन्हें प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है और जो उपर्युक्त शर्तें पूरी करती हैं, गारंटियों की जरूरत नहीं होगी, भले ही अग्रिम गैर-जमानती हों। साथ ही, ऐसी कंपनियों के मामले में, चाहे वे निजी या सार्वजनिक हों, जो व्यावसायिक प्रबंधन के अधीन हैं, उन व्यक्तियों से गारंटियों के लिए जोर नहीं दिया जाना चाहिए, जो केवल अपनी व्यावसायिक /तकनीकी योग्यता की हैसियत से, न कि संबंधित कंपनी में किसी महत्वपूर्ण शेयर-धारिता के फलस्वरूप, प्रबंधन से जुड़े हैं ।

ii. जहां ऋण देनेवाली संस्थाएं ऋण प्रस्तावों के ऊपर उल्लिखित पहलुओं के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं, वहां उन्हें ऐसी गारंटियों के बिना प्रस्तावों को स्वीकार्य बनाने के लिए शर्तों को निर्दिष्ट

करने की मांग करनी चाहिए। कुछ मामलों में, वित्तीय अनुशासन के अधिक कठोर स्वरूप जरूरी होंगे, जैसे लाभांश वितरित करने, आगे विस्तार करने, कुल उधारों, आस्तियों पर आगे प्रभार निर्मित करने पर प्रतिबंध तथा न्यूनतम शुद्ध कार्यकारी पूंजी बनाये रखने की शर्त। साथ ही, स्वाधिकृत निधियों और पूंजी निवेश के बीच समतुल्यता तथा समग्र ऋण-ईक्विटी अनुपात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

<u>बी. जहां गारंटियां सहायक समझी जायेंगी</u>

(i) उस स्थिति में, निजी या सार्वजनिक कंपनियों के संदर्भ में व्यक्तिगत गारंटियां सहायक मानी जा सकती हैं, जहां शेयर पूरी तरह किसी व्यक्ति या संबंधित व्यक्तियों या समूह (जो व्यावसायिक या सरकारी न हों) द्वारा धारित हों, भले ही अन्य तत्व जैसे वित्तीय स्थिति , उपलब्ध जमानत कुछ भी हो। अपवाद केवल उन कंपनियों के संदर्भ में है जहां, न्यायालय या सांविधिक आदेश द्वारा, कंपनी का प्रबंधन किसी ऐसे एक व्यक्ति या व्यक्तियों में निहित हो, चाहे उसे निदेशक या अन्य कोई नाम दिया गया हो, जिसे शेयरधारकों द्वारा चुने जाने की जरूरत नहीं है। जहां व्यक्तिगत गारंटी को आवश्यक समझा जाये, वहां गारंटी अधिमान्यत: निदेशक के रूप में या किसी प्रबंधकीय क्षमता में कार्यरत निदेशक / प्रबंधकीय कार्मिक के बजाय ऋण लेनेवाली कंपनी में शेयर धारित करने वाले समूह के प्रमुख सदस्यों की होनी चाहिए।

(ii) भले ही कोई कंपनी कुछ ही व्यक्तियों द्वारा पूरी तरह धारित न हो, फिर भी प्रबंधन की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी के लिए औचित्य हो सकता है। उदाहरण के लिए ऋण देनेवाली संस्था ऐसी कंपनी को ऋण दे सकती है जिसके प्रबंधन को अच्छा समझा जाता है। बाद में, कोई ऐसा दूसरा समूह कंपनी का नियंत्रण प्राप्त कर सकता है, जो ऋण देनेवाली संस्था को ऐसी स्थिति में पहुंचा दे जहां इस बात का सुस्पष्ट भय हो कि प्रबंधन का बदलाव उसे बुरी स्थिति में ले जायेगा और कंपनी की दी गयी निधियां जोखिम में पड़ जायेंगी। ऐसी परिस्थितियों में ऋण देनेवाली संस्थाएं जिस तरह से अपने को सुरक्षित कर सकती हैं उनमें एक तरीका यह है कि निदेशकों की गारंटी प्राप्त की जाये और इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाये की प्रबंधन की निरंतरता या प्रबंधन में होनेवाले परिवर्तन उनकी जानकारी से होते हैं। उन मामलों में भी जहां व्यक्तिगत गारंटियों से छूट दी गयी है, ऋण लेनेवाली कंपनी से इस बात का वचन लेना जरूरी होगा कि ऋण देनेवाली संस्था की सहमति के बिना प्रबंधन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार, कंपनी की निर्माणात्मक अवस्थाओं के दौरान, कंपनी तथा ऋण देनेवाली संस्था के हित में होगा कि गारंटियां प्राप्त की जायें, ताकि प्रबंधन की निरंतरता को सुनिश्चित किया जा सके।

(iii) प्रथम श्रेणी का दर्जा प्राप्त कंपनियों के अलावा उन पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के संबंध में, जहां अग्रिम गैर-जमानती आधार पर है, वैयक्तिक गारंटियां सहायक होंगी।

(iv) ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हो सकती हैं जिनकी वित्तीय स्थिति और /या नकदी निर्मित करने की क्षमता संतोषजनक न हो, भले ही संबंधित अग्रिम जमानत प्राप्त हों। ऐसे मामलों में वैयक्तिक गारंटियां उपयोगी होती हैं।

(v) उन मामलों में, जहां आस्तियों पर ऋण भार सृजित करने में काफी विलंब होने की संभावना है, वहां ऋण के संवितरण और आस्तियों पर ऋण भार सृजित करने के बीच की अंतरिम अवधि के लिए आवश्यकतानुसार गारंटी ली जाये।

(vi) व्यक्तिगत गारंटियां वहां उचित हैं जहां किसी कंपनी के तुलनपत्र या वित्तीय विवरण से यह पता चले कि निधियां कंपनी और समूह के स्वामित्व वाली या उसके प्रबंधन वाले अन्य प्रतिष्ठानों के बीच फंसी हुई हैं।

ग. गारंटीकर्ताओं की माली हालत, गारंटी का भुगतान, कमीशन आदि

जहां निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटियाँ आवश्यक हों, वहां वे उस व्यक्ति की अनुमानित माली हालत के उचित अनुपात में होनी चाहिए। गारंटियां प्राप्त करने की प्रणाली को निदेशकों और अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा कंपनी से आय के स्रोत के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। बैंकों को ऋण लेनेवाली कंपनी से तथा गारंटीकर्ताओं से यह वचन प्राप्त करना चाहिए कि कमीशन, दलाली-शुल्क या किसी अन्य रूप में कोई प्रतिफल उक्त कंपनी द्वारा अदा नहीं किया जायेगा या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गारंटीकर्ता द्वारा प्राप्त किया जायेगा। इस अपेक्षा को ऋण सीमाएं स्वीकृत करने संबंधी बैंक की शर्तों में शामिल करना चाहिए। आवधिक निरीक्षणों के दौरान, बैंक के निरीक्षकों को यह सत्यापित करना चाहिए कि इस शर्त का अनुपालन किया गया है। तथापि , ऐसे अपवादात्मक मामले हो सकते हैं जहां पारिश्रमिक के भुगतान की अनुमति दी जा सकती है, जैसे जहां सहायक प्रतिष्ठान ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं और वर्तमान गारंटीकर्ता प्रबंधन के साथ सम्बद्ध नहीं हैं परंतु उनकी गारंटियों को जारी रखना इसलिए आवश्यक समझा जा रहा है क्योंकि या तो नये प्रबंधन की गारंटी उपलब्ध नहीं है या पर्याप्त नहीं पायी गयी है और गारंटी कमीशन के रूप में गारंटीकर्ताओं को पारिश्रमिक के भुगतान की अनुमति दी गयी है।

घ. दबावग्रस्त इकाइयों के मामले में व्यक्तिगत गारंटियां

चूंकि प्रायोजकों /निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटियों से सामान्यत: उन पर अधिक जवाबदेही और जिम्मेदारी आती है और प्रबंधन, सहायताप्राप्त यूनिटों को सुदृढ़ और स्वस्थ आधार पर चलाने के लिए प्रेरित होते हैं, अत: वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए बैंक अपने विवेकानुसार निदेशकों (नामित निदेशकों को छोड़कर) और अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों से उनकी व्यक्तिगत क्षमता में गारंटियां प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी कारण से अग्रिम स्वीकृत करते समय बैंक द्वारा गारंटी समयोजित न समझी जाये, तो अलग-अलग निदेशक से वचन प्राप्त करना चाहिए और ऋण करार में अनिवार्य रूप से एक प्रसंविदा समाविष्ट करनी चाहिए कि यदि ऋण लेनेवाली इकाई नकदी हानि या प्रतिकूल चालू अनुपात या निधियों का अन्यत्र उपयोग दर्शाये, तो निदेशकों को, यदि बैंक द्वारा अपेक्षित हो तो, उनकी व्यक्तिगत क्षमता में गारंटियां निष्पादित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बैंक मूल / नियंत्रक कंपनी से भी अपने विवेकानुसार उस स्थिति में गारंटियां प्राप्त कर सकते हैं, जब उसी समूह की ऋण लेनेवाली इकाइयों को ऋण सुविधाएं दी जायें।

2.2.10 राज्य सरकार की गारंटियां

राज्य सरकार के उपक्रमों / परियोजनाओं के प्रस्ताव के संदर्भ में निदेशकों और अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों की व्यक्तिगत गारंटियां लेने के लिए भी उपर्युक्त पैराग्राफ 2.2.9 में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए और जब तक बिल्कुल जरूरी न हो तब तक गारंटी पर बल नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, बैंक गुणवत्ता के आधार पर और केवल प्रत्येक मामले की परिस्थितियों की पूरी जांच करने के पश्चात् ही बिलकुल आवश्यक परिस्थितियों में, राज्य सरकारों की गारंटियां प्राप्त कर सकते हैं, न कि नियमित रूप में।

2.3 अन्य शर्तें - निर्यातों के लिए बोली बांड और कार्यनिष्पादन गारंटी जारी किया जाना

निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से, निर्यात के प्रयोजनों के लिए बोली बांड और कार्यनिष्पादन गारंटियां जारी करते समय बैंकों को कवर प्राप्त करने, आस्तियां /ऋण सीमाएं निश्चित करने और आहरण-अधिकार के मामले में लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तथापि , जहाँ आवश्यक समझा जाये बैंकों को निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। बैंक बोली बांड जारी करने के लिए अलग सीमाएं स्वीकृत करने पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार स्वीकृत सीमाओं के भीतर, अलग-अलग संविदाओं के प्रति बोली बांड सामान्य प्रतिफलों की शर्त पर जारी किये जायें।

2.3.1 भारतीय निर्यातकों की ओर से विदेशी नियोक्ताओं/ आयातकों के पक्ष में बिना शर्त गारंटी

2.3.1.1 भारतीय निर्यातकों की ओर से विदेशी नियोक्ताओं / आयातकों के पक्ष में बिना शर्त गारंटी देने के लिए सहमति देते हुए बैंकों को निर्यातक से इस आशय का वचन प्राप्त करना चाहिए कि जब कभी गारंटी लागू की जाये बैंक निर्यातक और आयातक के बीच किसी विवाद के होते हुए भी अदायगी करने का हकदार होगा। यद्यपि , ऐसे वचन के कारण निर्यातक को निषेधाज्ञा के लिए न्यायालय के पास जाने से रोका नहीं जा सकता तथापि इसके आधार पर न्यायालय यह राय बना सकता है कि क्या निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए।

2.3.1.2 बैंक गारंटियां जारी करते समय उक्त बातें ध्यान में रखें और अपने विधि परामर्शदाताओं के परामर्श से करार में उपयुक्त खण्ड समाविष्ट करें। यह वांछनीय है, क्योंकि गारंटी लागू किये जाने पर उसे नकारने से विदेशी बैंक भारतीय बैंकों की गारंटियां स्वीकार करना बंद कर सकते हैं, जिससे देश के निर्यात संवर्धन संबंधी प्रयासों में रुकावट आयेगी।

2.3.2 परियोजना निर्यातों के मामले में कुछ सावधानियां

2.3.2.1 22 जुलाई 2014 को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात- परियोजना निर्यात पर परिपत्र के माध्यम से जारी परियोजना और सेवा निर्यात पर अनुदेशों के संशोधित ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार, एडी बैंक/एक्ज़िम बैंक को उच्च मूल्य वाले विदेशी परियोजना निर्यातों के लिए अधिनिर्णय के बाद अनुमोदन पर विचार करने के लिए अधिकृत किया गया है मूल्य विदेशी परियोजना निर्यात। परंतु परियोजना के मूल्यांकन और परियोजना पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व अकेले प्रायोजक बैंक पर है।

2.3.2.2 बैंकों को संविदाकर्ता / उप संविदाकर्ताओं की क्षमता, संविदाओं के संरक्षी खण्डों, प्रतिभूति की पर्याप्तता, यदि कोई विदेशी उप संविदाकर्ता हो तो उनकी की क्रेडिट रेटिंग, आदि के संबंध में परियोजना प्रस्तावों की पूरी जांच करनी चाहिए।

2.3.2.3 अत: देशी परियोजना के वित्तपोषण के मामले में प्रस्तावों में शामिल वित्तीय और तकनीकी मांगों की तुलना में संविदाकर्ताओं (उप संविदाकर्ताओं सहित) तथा विदेशी नियोक्ताओं की क्षमता का सावधानी से आकलन करने की आवश्यकता को शायद ही कम कर आंका जा सके। वस्तुत:, निर्यात परियोजनाओं के उच्च मूल्य तथा चूक के मामले में विदेशी मुद्रा हानि की संभावनाओं तथा साथ ही भारतीय उद्यमियों की छवि की क्षति को देखते हुए उन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

2.3.2.4 जहां बोली बांड और कार्यनिष्पादन गारंटियों को टाला नहीं जा सकता, वहीं इस मामले पर विचार किया जाना है कि क्या विदेशी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विदेशी उधार राशियों के

सभी मामलों में बैंकों द्वारा गारंटियां दी जानी चाहिए। ऐसी गारंटियां सिर्फ निर्यात-आयात बैंक की सहभागिता तथा ईसीजीसी काउंटर-गारंटी की उपलब्धता के कारण सामान्य रूप से निष्पादित नहीं की जानी चाहिए। गारंटी प्रदान करने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई के लिए तथा संविदाओं पर निगरानी रखने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं भी की जानी चाहिए।

2.3.3 निर्यात अग्रिम के लिए गारंटियां

2.3.3.1 निर्यातक द्वारा भारत से निर्यात करने के लिए लिये गये ऋण या अन्य देयताओं के संबंध में गारंटियों की अनुमति दी गई है। अत: इसका उद्देश्य निर्यातक द्वारा निर्यात अनुबंधों को निष्पादित करने में सहायता देना था और इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। विद्यमान अनुदेशों के अनुसार बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि गारंटियों में अंतर्निहित जोखिम होता है तथा यह बैंक के हित में या लोक हित में नहीं होगा कि साधारण तौर पर केवल गारंटी सुविधाओं की आसान उपलब्धता के बल पर पार्टियों को अपनी प्रतिबद्धता अनावश्यक रूप से बढ़ाने के लिए तथा नए उद्यम प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अतएव बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निर्यात अग्रिमों के बदले गारंटियां प्रदान करते समय सावधानी बरतें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फेमा विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है तथा बैंक विभिन्न जोखिमों में नहीं पड़ते है। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें ऐसे निर्यातकों के संबंध में आवश्यक छानबीन करनी चाहिए तथा इस प्रकार के निर्यात आदेशों को निष्पादित करने की उनकी क्षमता की जाँच करने के लिए उनके ट्रैक रिकार्ड की जाँच करनी चाहिए।

2.3.3.2 इसके अलावा, बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्यातकों द्वारा प्राप्त किए गए निर्यात अग्रिमों में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी विनियमों /निदेशों का अनुपालन हुआ है।

2.3.3.3 इसे दुहराया जाता है कि निर्यात कार्य निष्पादन गारंटियां, जहां जारी किए जाने की अनुमति है, पूर्णत: कार्य निष्पादन गारंटियां के स्वरूप की होनी चाहिए तथा इनमें ऐसी कोई शर्तें शामिल नहीं रहनी चाहिए जिनके चलते ऐसी कार्य निष्पादन गारंटियों को वित्तीय गारंटियों/ स्टैंड-बाय साख पत्रों के रूप में प्रयोग की अनुमति मिलती हो।

2.3.3.4 बैंक 13 मार्च 2018 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 20 का अनुपालन भी सुनिश्चित करें, जो 'व्यापार क्रेडिट के लिए वचन पत्र (एलओयू) और लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) को बंद करने' के संबंध में है।

2.3.4 बैंक प्रक्रियाओं की समीक्षा

बैंक शक्तियों के प्रत्यायोजन और उनकी प्रक्रियाओं की स्थिति की समीक्षा करें तथा निर्यात प्रस्तावों पर त्वरित निर्णय लेने की दृष्टि से यथावश्यक कार्रवाई करें। वे प्रत्येक महत्वपूर्ण केंद्र में पर्याप्त रूप से योग्य और प्रशिक्षित स्टाफ से युक्त विशिष्ट शाखा बनाने पर भी विचार कर सकते हैं, ताकि निर्यात ऋण संबंधी सभी प्रस्तावों का निपटान त्वरित रूप से उसी केंद्र में हो सके।

2.3.5 विदेशी निवेश - किसी विदेशी संस्था या उसकी किसी उप-अनुषंगी संस्था की ओर से गारंटी

विकास के लिए वैश्विक अवसर प्रदान करके भारतीय उद्यमियों के व्यापार परिचालन के पैमाने और दायरे को बढ़ाने के लिए, भारतीय संस्थाओं को कुछ सीमाओं के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ गैर-निधि आधारित वित्तीय प्रतिबद्धताएं करने की अनुमति दी गई है। इस हेतु, बैंक किसी विदेशी संस्था को या उसकी ओर से, या उसकी किसी उप-अनुषंगी कंपनी, जिसमें किसी भारतीय संस्था ने विदेशी संस्था के माध्यम से नियंत्रण हासिल कर लिया है और जो भारतीय संस्था या उसकी समूह कंपनी द्वारा प्रति-गारंटी या संपार्श्विक द्वारा समर्थित है को गारंटी जारी कर सकते हैं ।

हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी गारंटियां भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/अनुषंगी कंपनियों सहित बैंकों द्वारा किसी विदेशी इकाई द्वारा विदेशी कारोबार के सामान्य कार्य को छोड़कर किसी भी प्रकार का ऋण/अग्रिम प्राप्त करने के उद्देश्य से जारी नहीं की जाएंगी। आगे, ऐसी गारंटियों का विस्तार करते समय, बैंकों को ऐसी सुविधाओं के अंतिम उपयोग की प्रभावी निगरानी और ऐसी संस्थाओं की व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ इसकी अनुरूपता सुनिश्चित करनी चाहिए।

2.4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों या अन्य गैर-बैंक संस्थाओं के पास निधियां रखने की गारंटी पर प्रतिबंध

2.4.1 बैंकों को एनबीएफसी या अन्य गैर-बैंकिंग संस्थाओं के साथ अंतर-कंपनी जमा/ऋण सहित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन की नियुक्ति को सक्षम करने के लिए गारंटी निष्पादित नहीं करनी चाहिए। यह शर्त ऐसी संस्थाओं द्वारा जुटाए गए धन के सभी स्रोतों पर लागू होगी, उदाहरणार्थ: न्यासों और अन्य संस्थाओं से प्राप्त जमा/ऋण।

2.4.2 निम्नलिखित प्रकार के लेनदेन एक गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा दूसरी गैर बैंकिंग कंपनी को उपलब्ध करायी गयी निधियों के संबंध में बैंकों द्वारा निष्पादित गांरटियों के स्वरूप के हैं, अत: बैंकों को ऐसी प्रथाओं से बचना चाहिए :-

i) एक विक्रेता ने क्रेता पर बिल, सामान्यत: 120 से 180 दिन मुद्दती, आहरित किए, जिसे क्रेता ने स्वीकार किया तथा उसके बैंकर द्वारा सह-स्वीकृति दी गयी। बिलों को विक्रेता ने निभावकर्ता कंपनी से भुनाया, जिसने नियत तारीख तक उन बिलों को रखा। सह-स्वीकृति देने वाले बैंक ने अपने ग्राहक, खरीदार के नकदी ऋण खाते में रखे स्टॉकों के संबंध में आहरणाधिकार के प्रति बिलों के अंतर्गत देयता के लिए हमेशा निधियां अलग रखीं, अथवा

ii) निभावकर्ता कंपनी ने बैंक द्वारा निष्पादित गारंटी के तहत बैंक के ऋणकर्ता के पास विनिर्दिष्ट अवधि के लिए जमाराशियां रखीं। ऐसे मामले में भी बैंक ने नकद ऋण खाते में उपलब्ध आहरणाधिकार के प्रति राशि अलग रखी।

2.4.3.1 अब से, बैंक अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण देने वाली अन्य एजेंसियों द्वारा दिए गए ऋणों के लिए उनके पक्ष में गारंटी निर्गत कर सकते हैं परंतु इस संबंध में उन्हें निम्नलिखित शर्तों का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा।

(i) निदेशक-मंडल को बैंक की जोखिम प्रबंध प्रणाली की सुस्वस्थता /सुदृढ़ता को समझ लेना चाहिए और तदनुसार इस संबंध में एक सुव्यवस्थित नीति तैयार करनी चाहिए।

निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित नीति में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए :

- बैंक की टीयर । पूंजी से संबद्ध किस विवेकपूर्ण सीमा तक अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण देने वाली अन्य एजेंसियों के पक्ष में गारंटी निर्गत की जा सकती है
- जमानत और मार्जिनों का स्वरूप तथा सीमा
- अधिकारों का प्रत्यायोजन
- रिपोर्टिंग प्रणाली
- आवधिक समीक्षाएं

(ii) गारंटी केवल उधारकर्ता-ग्राहकों के संबंध में तथा उन्हें अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण देने वाली अन्य एजेंसियों से अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने के लिए उपलब्ध करायी जाएगी।

(iii) गारंटी देने वाला बैंक गारंटीकृत ऋणादि जोखिम के कम से कम 10 प्रतिशत के बराबर निधिक ऋणादी जोखिम की जिम्मेवारी लेगा।

(iv) बैंकों को विदेशी ऋणदाताओं के पक्ष में तथा विदेशी ऋणदाताओं को समनुद्देश्य गारंटी अथवा लेटर ऑफ कंफर्ट प्रदान नहीं करने चाहिए। तथापि, प्राधिकृत व्यापारी बैंक दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 8/2000-आरबी में निहित प्रावधानों से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

(v) बैंक द्वारा निर्गत की गई गारंटी ऋण लेने वाली उस संस्था पर ऋणादि जोखिम माना जाएगा जिसकी ओर से गारंटी निर्गत की गई है तथा उनके लिए प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार समुचित जोखिम-भार लागू होगा।

(vi) हाल ही में, कुछ बैंक कार्पोरेट संस्थाओं द्वारा जारी अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में ऐसी संस्थाओं की ओर से गारंटियां जारी कर रहे हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि मौजूदा अनुदेश केवल ऋणों पर लागू होते हैं, बाण्डों अथवा ऋण लिखतों पर नहीं। कार्पोरेट बॉण्ड अथवा कोई भी ऋण लिखत के लिए बैंकिंग प्रणाली द्वारा दी गई गारंटियों का न केवल प्रणालीगत प्रभाव पड़ता है बल्कि वे एक वास्तविक कार्पोरेट ऋण बाज़ार के विकसित होने में भी बाधाएं डालती हैं। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे मौजूदा विनियमों का कड़ाई से अनुपालन करें और विशिष्ट रूप से किसी भी प्रकार के बॉण्ड अथवा ऋण लिखतों के निर्गम के लिए गारंटियां अथवा समतुल्य प्रतिबद्धताएं प्रदान न करें।

2.4.3.2 ऋण देने वाले बैंक

अन्य बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्गत की गई गारंटियों के आधार पर ऋण-सुविधा उपलब्ध कराने वाले बैंकों को निम्नलिखित शर्तों का कड़ाई से पालन करना चाहिए :

(i) अन्य बैंक /वित्तीय संस्था की गारंटी के आधार पर कोई बैंक जिस ऋण की जिम्मेवारी लेगा उसे गारंटी देने वाले बैंक /वित्तीय संस्था का ऋण माना जाएगा तथा उसके लिए प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार समुचित जोखिम-भार भी लागू होगा।

(ii) अन्य बैंकों द्वारा निर्गत गारंटी के आधार पर ऋण सुविधा के रूप में कोई बैंक जिस ऋण की जिम्मेवारी लेगा उसकी गणना निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गई अंतर-बैंक एक्सपोज़र के अंतर्गत

की जाएगी। चूंकि अन्य बैंक /वित्तीय संस्था की गारंटी के आधार पर कोई बैंक जिस ऋण की जिम्मेवारी लेगा उसकी अवधि मुद्रा बाज़ार, विदेशी मुद्रा बाजार और प्रतिभूति बाजार में किए जाने वाले अंतर-बैंक लेनदेनों की जिम्मेवारियों की अवधि से लंबी होगी, इसलिए निदेशक मंडल को दीर्घावधिक ऋणों के मामले में एक उपयुक्त उपसीमा निश्चित कर देनी चाहिए क्योंकि ऐसे ऋणों के मामले में जोखिम अपेक्षाकृत ज्यादा होता है।

(iii) बैंकों को चाहिए कि गारंटी देने वाले बैंक /वित्तीय संस्था पर जिस ऋण की जिम्मेवारी पड़ती है, उस पर वे अनवरत नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि बैंकों के लिए निदेशक-मंडल द्वारा निश्चित की गई विवेकपूर्ण सीमाओं /उप सीमाओं का तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित की गई एकल उधारकर्ता विवेकपूर्ण सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

2.4.4 अपवाद

2.4.4.1 दबावग्रस्त इकाइयों के समाधान के संबंध में, आपवादिक मामलों में, जहाँ चलनिधि संबंधी अस्थायी अवरोधों के कारण बैंक पुनर्वास पैकेजों में भाग लेने में असमर्थ हों, संबंधित बैंक उन बैंकों के पक्ष में गारंटियां प्रदान कर सकते हैं जो उनका अतिरिक्त हिस्सा ले रहे हों। ऐसी गारंटियां उस समय तक लागू रहेंगी जब तक गारंटियों के प्रति अतिरिक्त वित्त प्रदान करने वाले बैंकों की पुन: क्षतिपूर्ति न कर दी जाये।

2.4.4.2 मशीनरी की बिक्री के लिए आईडीबीआई बैंक लि .[3] तथा सिडबी, पीएफसी आदि जैसी अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा परिचालित `सेलर्स लाइन आफ क्रेडिट स्कीम' (जिसे अब डायरेक्ट डिस्काउंटिंग स्कीम नाम दिया गया है) के मामले में विक्रेता के बैंक द्वारा विक्रेता को क्रेता पर आहरित बिलों के माध्यम से प्राथमिक ऋण प्रदान किया जाता है तथा विक्रेता के बैंक की कोई पहुंच लेनदेन द्वारा समाविष्ट उस प्रतिभूति तक नहीं होती जो क्रेता के पास रहती है। अत: क्रेता के बैंकों को इस बात की अनुमति होती है कि वे सेलर्स लाइन आफ क्रेडिट के तहत आहरित बिलों के लिए गारंटी/सहस्वीकृति की सुविधा प्रदान करें।

2.4.4.3 इसी प्रकार, संपत्ति का स्पष्ट और विक्रेय हक देने में असमर्थ निजी ऋणकर्ताओं को हुडको /राज्य आवास बोर्डों और उसी प्रकार के निकायों / संगठनों द्वारा स्वीकृत ऋणों के लिए उनके पक्ष में गारंटी जारी की जा सकती है, बशर्ते बैंक ऐसे ऋणों के संबंध में ऋणकर्ताओं की समुचित ऋण शोधन क्षमता के बारे में अन्यथा संतुष्ट हों।

2.4.4.4 बैंक अपने ग्राहकों की ओर से इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, नेशनल हार्टीकल्चर बोर्ड जैसी विकास एजेंसियों / बोर्डों के पक्ष में सुलभ ऋणों और / या अन्य प्रकार की विकास सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन दक्षता, उत्पादकता आदि में सुधार के उद्देश्य से गारंटियां निर्गत कर सकते हैं:

i) बैंकों को क्रेडिट मूल्यांकन के आधार पर, तकनीकी साध्यता, वित्तीय व्यवहार्यता और व्यक्तिगत परियोजनाओं और/या ऋण प्रस्तावों की बैंकेबिलिटी के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए अर्थात ऐसे मूल्यांकन का मानक वही होना चाहिए, जैसा कि सावधि वित्त/ऋण की स्वीकृति के लिए एक ऋण प्रस्ताव के मामले में किया जाता है।

[3] जो योजना पूर्ववर्ती आईडीबीआई द्वारा संचालित की जा रही थी, उसे आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा जारी रखा जा रहा है.

ii) बैंकों को व्यक्तिगत उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के समूह के लिए समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण एक्सपोजर मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए।

iii) बैंकों को ऐसी गारंटी देने से पहले अपने आप को उपयुक्त रूप से सुरक्षित कर लेना चाहिए।

2.4.5 मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाएं

मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए उधार देने की प्रमुख विशिष्टताएं, अर्थात् ऋणदाताओं के स्तर पर मूल्यांकन कौशल की उच्च स्तर तथा परियोजना अवधि के अनुरूप परिपक्वता वाले संसाधनों की उपलब्धता, को ध्यान में रखते हुए बैंकों को सिर्फ मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित शर्तों पर अन्य ऋणदाता एजेंसियों के पक्ष में गारंटियां जारी करने के मामले में विवेकाधिकार दिया गया है :

i) गारंटी जारी करने वाला बैंक परियोजना में परियोजना की लागत के कम से कम 5 प्रतिशत के बराबर की निधिक भागीदारी करता है तथा परियोजना के संबंध में सामान्य ऋण मूल्यांकन, निगरानी तथा तत्संबंधी अनुवर्ती कार्य करता है।

ii) गारंटीकर्ता बैंक के पास विवेकपूर्ण विनियमों जैसे पूंजी पर्याप्तता, ऋण जोखिम, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने संबंधी मानदंडों आदि के अनुपालन का संतोषजनक रिकार्ड हो।

2.5. लागू की गयी गारंटियों की अदायगी

2.5.1 जहां गारंटी लागू की गयी हो, वहां लाभार्थियों को बिना विलंब और हिचक के राशि अदा की जानी चाहिए। गारंटियों को तत्काल सकारना सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि इस कारण से विलंब न हो कि विधिक सलाह या उच्चतर प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।

2.5.2 गारंटी लागू किये जाने पर उन्हें सकारने में बैंकों के स्तर पर देरी किये जाने से बैंक गारंटियों के मूल्य, गारंटी योजना की महत्ता और बैंकों की छवि को नुकसान पहुंचता है। इससे पक्षकारों को इस बात का अवसर मिलता है कि वे न्यायालय का आश्रय लें और निषेधाज्ञा प्राप्त करें। सरकारी विभागों के पक्ष में जारी की गयी गारंटियों के मामले में, इससे न सिर्फ राजस्व की वसूली के प्रयास में देरी होती है, अपितु इससे ऐसी गलत धारणा भी बनती है कि बैंक की पक्षकारों से सक्रिय मिलीभगत है, जिससे बैंकिंग तंत्र की छवि खराब होती है।

2.5.3 एक प्रभावी प्रणाली होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन लोगों की ओर से गारंटी जारी की गयी हो वे कार्यनिष्पादन गारंटियों के मामले में अपना दायित्व पूरा करने और वित्तीय गारंटियों के मामले में जब कभी आवश्यक हो अपने निजी संसाधनों से वचनबद्धता सकारने की स्थिति में हो।

2.5.4 गारंटी लागू करने पर तुरंत भुगतान करने के लिए बैंकों के सर्वोच्च प्रबंध-तंत्र को उचित प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसी शिकायतों की कोई गुंजाइश न रहे। जब जारी की गयी गारंटियों को न सकारने के संबंध में शिकायतें आयें, विशेष रूप से सरकारी विभागों से, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित बैंक के शीर्ष प्रबंध-तंत्र को ऐसी शिकायतों के बारे में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए।

2.5.5 इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय ने लागू किये जाने पर गारंटियों की प्रतिबद्धता को तुरंत पूरा न करने में कतिपय बैंकों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं। यह पाया गया है कि बैंक गारंटी

हिताधिकारी और बैंक के बीच एक संविदा है। जब हिताधिकारी बैंक-गारंटी लागू करता है और बैंक-गारंटी के अनुसार उक्त गारंटी को लागू करने का पत्र भेजा जाता है, तो बैंक के लिए हिताधिकारी को भुगतान करना बाध्यकारी होता है।

2.5.6 उच्चतम न्यायालय ने [उ. प्र. सहकारी फेडरेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम सिंह कंसल्टेंट्स एण्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (1988 आइसी एसएससी 174)] यह कहा है कि बैंकों की प्रतिबद्धताएं न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना पूरी की जानी चाहिए

उक्त मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से प्रासंगिक उद्धरण निम्नलिखित है :-

''अत: हमारी राय में सही कानूनी स्थिति यह है कि बैंकों की प्रतिबद्धता न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना पूरी की जानी चाहिए और केवल अपवाद के मामले में, जैसे कि धोखाधड़ी के मामले में या ऐसी स्थिति में, जहां बैंक गारंटी के नकदीकरण की अनुमति देने पर अपूरणीय अन्याय हो जायेगा, न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए।''

2.5.7 ऐसी स्थितियों से बचने के लिए बैंकों के लिए यह नितांत रूप से अनिवार्य है कि वे गारंटियों के प्रस्तावों का उतनी ही सावधानी और निष्ठापूर्वक मूल्यांकन करें जैसा कि निधि आधारित ऋण सीमाओं के लिए किया जाता है और मार्जिन के द्वारा पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त करें, ताकि जब लागू की गयी गारंटियों का बैंकों द्वारा भुगतान किया जाये, तो ग्राहकों में भुगतानों में चूक करने की प्रवृत्ति विकसित न हो।

2.5.8 (i) बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि वे उनके द्वारा जारी गारंटियों को गारंटी विलेख की शर्तों के अनुसार लागू किये जाने पर बिना किसी विलंब और संकोच के सकारें, जब तक कि किसी न्यायालय का अन्यथा आदेश न हो।

(ii) लागू की गयी गारंटी के अंतर्गत दायित्व को न सकारने का कोई निर्णय समुचित रूप से वरिष्ठ स्तर पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत लिया जाये और सिर्फ ऐसी परिस्थितियों में ही उक्त प्रकार का निर्णय लिया जाये जब बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि हिताधिकारी को ऐसा कोई भुगतान भारतीय संविदा अधिनियम,1872 के अंतर्गत गारंटी की शर्तों के अनुसार वैध भुगतान नहीं माना जायेगा।

(iii)सरकारी विभागों से प्राप्त ऐसी शिकायतों के लिए बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस कार्य में लगे अधिकारियों को पर्याप्त अधिकार दिये जाने चाहिए, ताकि गारंटी के अंतर्गत भुगतान के लिए उच्चतर प्राधिकारियों के पास मामला भेजने के कारण विलंब न हो।

(iv) गारंटी का समय पर भुगतान न होने के लिए स्टाफ का उत्तरदायित्व तय किया जाना चाहिए और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सभी स्तरों पर बर्खास्तगी जैसे कड़े दंड देने सहित सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

(v) जहां बैंकों ने उच्च न्यायालयों के अंतरिम आदेशों के संदर्भ में विभेदक शुल्क राशियों को पूरा करने के लिए सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पक्ष में बैंक गारंटियां निष्पादित की हैं, वहां न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेशों को हटाये जाने पर गारंटी लागू होने की स्थिति में गारंटियों की राशि का तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए। बैंकों को इस बहाने यह राशि रोकनी नहीं चाहिए कि इससे उनकी अर्थसुलभता (लिक्विडिटी) की स्थिति प्रभावित होगी।

2.5.9 वित्त मंत्रालय से इस तरह की शिकायतें भी मिली हैं कि कुछ विभागों, जैसे राजस्व विभाग, भारत सरकार, के लिए विभिन्न न्यायालयों द्वारा उनके पक्ष में दिये गये निर्णयों को निष्पादित करना

मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब तक न्यायालय के निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपि उन्हें उपलब्ध नहीं करा दी जाती, बैंक अपनी गारंटियों को सकारते नहीं हैं। इस संबंध में बैंक निम्नलिखित क्रियाविधि का अनुसरण करें:

(i) जहां बैंक गारंटी को लागू करने के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गयी कार्यवाही में बैंक एक पक्ष हो और न्यायालय द्वारा मामले का निर्णय सरकार के पक्ष में दिया गया हो तो बैंकों को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्णय / आदेश पक्षों /उनके वकीलों की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाता है और बैंक इस निर्णय से अवगत होता है और निर्णय की प्रति न्यायालयों के बेवसाइट पर भी उपलब्ध है।

(ii) यदि बैंक कार्यवाहियों में एक पक्ष नहीं है तो उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार / उप या सहायक रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित आदेश के कार्यविवरण की हस्ताक्षरित प्रति या उच्च न्यायालय के निर्णय /आदेश की सरकारी वकील द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में अनुप्रमाणित साधारण प्रतिलिपि गारंटी के अंतर्गत प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी, यदि गारंटीकर्ता बैंक उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं कर रहा हो।

(iii) गारंटी जब भी लागू की जाये, बैंकों को गारंटी विलेखों की शर्तों के अनुसार उनके द्वारा जारी की गयी गारंटियों को सकारना चाहिए। कोई विवाद होने पर यदि आवश्यक हो तो जारी की गयी गारंटियों का विरोध के साथ भुगतान किया जा सकता है और विवाद के मामले में अलग से अनुवर्ती कार्रवाई की जा सकती है।

(iv) सरकार ने अपनी ओर से विभिन्न सरकारी विभागों, आदि को सूचित किया है कि गारंटियाँ लागू करने (इनवोकेशन) का निर्णय वरिष्ठ स्तर पर ध्यानपूर्वक यह विचार करने के बाद लिया जाये कि गारंटी विलेख में निहित गारंटियों की शर्तों के अनुसार चूक हुई है।

(v) लागू की गयी गारंटियों के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं को सकारने के संबंध में इन अनुदेशों का अनुपालन न किया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अत्यधिक गंभीरता से लिया जायेगा और ऐसे बैंकों के विरुद्ध रिज़र्व बैंक निवारक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।

2.6 बिलों की सह-स्वीकृति

2.6.1 सामान्य

रिज़र्व बैंक ने यह देखा है कि कुछ बैंक बिना कोई विशेष ध्यान दिये अपने ग्राहकों के बिलों को सह-स्वीकृत करते हैं और अन्य बैंकों द्वारा सह-स्वीकृत किये गये बिलों को भुनाते भी हैं। बाद में ये बिल सहयोगी संस्थाओं द्वारा एक दूसरे पर आहरित निभाव बिल निकलते हैं, जिनमें कोई वास्तविक व्यापारिक लेनदेन नहीं होता। ऐसे बिलों को भुनाते समय बैंक इस महत्वपूर्ण पहलू को संभवत: अन्य बैंकों द्वारा दी गयी सह-स्वीकृति के कारण नजरंदाज कर देते हैं। परिपक्व होने पर ऐसे बिल आदेशितियों द्वारा सकारे नहीं जाते हैं और उन बैंकों को, जो इन बिलों को सह-स्वीकृत करते हैं, इन बिलों का भुगतान करना पड़ता है और बिलों के आहरणकर्ताओं /आदेशितियों से उक्त राशि वसूल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बैंक बड़ी राशियों के ऐसे बिलों को भी बट्टाकृत करते हैं जो कतिपय शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सह-स्वीकृत किये जाते हैं। परिपक्वता होने पर ऐसे बिल सकारे नहीं जाते और उन सहकारी बैंकों के लिए भी, जो इन बिलों को सकारने के लिए उन्हें सह-स्वीकृत करते हैं, उनका भुगतान करना मुश्किल होता है। आवश्यकता होने पर सह-स्वीकृत करने वाले बैंक की वित्तीय स्थिति और क्षमता की जानकारी नहीं ली जाती है। ऐसे मामले भी पाये गये हैं जहां बिलों की सह-स्वीकृति के संबंध में विवरण बैंक की

बहियों में अभिलिखित नहीं किये जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि निरीक्षणों के दौरान उनका सत्यापन नहीं किया जा सकता और प्रधान कार्यालय को सह-स्वीकृति का केवल तब पता चलता है जब बट्टाकर्ता बैंक से दावा प्राप्त होता है।

2.6.2 सुरक्षा के उपाय

उपर्युक्त को देखते हुए, बैंकों को सुरक्षा के निम्नलिखित उपायों को ध्यान रखना चाहिए :

(i) अपने ग्राहकों को सह-स्वीकृति सीमाएं मंजूर करते समय उसकी आवश्यकता सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐसी सीमाओं की सुविधा केवल उन ग्राहकों को प्रदान की जानी चाहिए जिन्होंने बैंक से अन्य सीमाओं का लाभ उठाया हो।

(ii) केवल वास्तविक व्यापारिक बिल ही सह-स्वीकृत किये जाने चाहिए और बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सह-स्वीकृत बिलों में निहित माल वास्तव में उधारकर्ता के स्टॉक-खाते में प्राप्त हो गया है।

(iii) साथ में प्राप्त इनवॉइस में उल्लिखित माल के मूल्यांकन का सत्यापन यह पता लगाने के लिए करना चाहिए कि स्टॉक का अति मूल्यांकन तो नहीं किया गया है।

(iv) बैंकों को एक समूह की संस्थाओं द्वारा एक दूसरे पर आहरित आंतरिक बिलों /निभाव बिलों को अपनी सह-स्वीकृति प्रदान नहीं करनी चाहिए।

(v) अन्य बैंकों द्वारा सह-स्वीकृत ऐसे बिलों को बट्टाकृत करने वाले बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये बिल निभाव बिल नहीं है और सह-स्वीकृत करने वाला बैंक आवश्यकता पड़ने पर दायित्व को उन्मोचित (रिडीम) करने की क्षमता रखता है।

(vi) अन्य बैंकों द्वारा सह-स्वीकृत बिलों को बट्टाकृत करने के लिए प्रत्येक बैंक के आकार को ध्यान में रखते हुए बैंकवार सीमाएं नियत की जानी चाहिए और अन्य बैंकों के अधिकारियों के संगत अधिकार बट्टाकर्ता बैंक के पास पंजीकृत कराये जाने चाहिए।

(vii) इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि किसी बैंक की सह-स्वीकृति देयता उसकी ज्ञात संसाधन स्थिति की तुलना में गैर-आनुपातिक नहीं हो।

(viii) बकाया बिलों के संबंध में सह-स्वीकृति देने वाले बैंकों की देयताओं की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की कोई प्रणाली आरंभ की जानी चाहिए।

(ix) प्रत्येक ग्राहक के लिए सह-स्वीकृत बिलों का उचित अभिलेख रखा जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक ग्राहक के लिए प्रतिबद्धताओं और किसी एक शाखा में कुल प्रतिबद्धताओं का तुरंत पता लगाया जा सके और आंतरिक निरीक्षकों द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और अपनी रिपोर्टों में इन पर टिप्पणियां देनी चाहिए।

(x) बट्टाकर्ता बैंक के लिए यह भी वांछनीय है कि जब कभी ऐसा लेनदेन गैर-आनुपातिक या बड़ा प्रतीत हो तो उस बैंक के प्रधान कार्यालय /नियंत्रक कार्यालय को सूचित करें, जिसने इन बिलों को सह-स्वीकृत किया है।

(xi) समुचित आवधिक विवरणियां निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि शाखा प्रबंधक अपने द्वारा निष्पादित इस प्रकार की सह-स्वीकृति की प्रतिबद्धताओं की नियंत्रण कार्यालयों को सूचना दे सकें।

(xii) ऐसी विवरणियों से उन बिलों की स्थिति भी प्रकट होनी चाहिए जो अतिदेय हो चुके हैं और सह-स्वीकृति दायित्व के अंतर्गत जिन्हें बैंक को पूरा करना पड़ा। इससे नियंत्रण कार्यालय, शाखाओं द्वारा प्रस्तुत इस प्रकार के सह-स्वीकृतियों पर निगरानी रख सकेंगे और कठिन मामले में समय पर उचित कार्रवाई कर सकेंगे।

(xiii) 10,000 रुपये तथा इससे अधिक राशि के बिलों की सह-स्वीकृतियों पर दो अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर होने चाहिए, इस नियम का व्यतिक्रम अपवादस्वरूप ही अर्थात् किसी शाखा पर दो अधिकारी न होने पर होना चाहिए।

(xiv) अन्य बैंकों द्वारा सह-स्वीकृत 2 लाख रुपये और उससे अधिक राशि के किसी एकल पक्ष के / उससे प्राप्त बिलों को भुनाने / क्रय करने से पहले बैंक को स्वीकृत करने वाले बैंक के संबद्ध नियंत्रण (क्षेत्रीय / मंडल / अंचल) कार्यालय की लिखित पुष्टि प्राप्त करनी चाहिए और उसका अभिलेख रखना चाहिए।

(xv) जब किसी एकल उधारकर्ता / उधारकर्ताओं के समूह के भुनाये जाने वाले /क्रय किये जाने वाले बिलों का (जो अन्य बैंकों द्वारा सह-स्वीकृत किये गये हैं) कुल मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक हो रहा हो तो बट्टाकर्ता बैंक द्वारा सह-स्वीकृत करने वाले बैंक के प्रधान कार्यालय का लिखित पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

2.6.2.1 बिलों को सह-स्वीकृत करने में बैंकों द्वारा अपनाये जाने वाले उपर्युक्त सुरक्षा उपायों के अलावा यह नोट किया जाना चाहिए कि आईडीबीआई बैंक लि . तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, यथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) आदि द्वारा आरंभ की गयी क्रेता को ऋण सुविधा (बायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट) योजनाओं के अंतर्गत आहरित बिल सह-स्वीकृत करने से बैंकों को मना किया गया है। उसी प्रकार बैंकों द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आहरित बिल को सह-स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक योजना के अंतर्गत अपने क्रेताओं /ग्राहकों की ओर से सह-स्वीकृति प्रदान न करें।

2.6.2.2 तथापि बैंक, आईडीबीआई बैंक लि.[4] तथा आईडीबीआई बैंक लि.[5] द्वारा परिचालित अखिल भारतीय बिल डिस्काउंटिंग संस्थाओं तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं यथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) आदि द्वारा परिचालित विक्रेता की ऋण सुविधा (सेलर्स लाइन ऑफ क्रेडिट) योजनाओं के अंतर्गत आहरित बिलों को क्रेता के भुगतान करने की

[4] जो योजना पूर्ववर्ती आईडीबीआई द्वारा संचालित की जा रही थी, उसे आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा जारी रखा जा रहा है.

[5] जिस योजना का संचालन तत्कालीन आईडीबीआई द्वारा किया जा रहा था, वह आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा जारी रखा जा रहा है

क्षमता और व्यक्तिगत /समूह उधारकर्ताओं के लिए बैंक द्वारा निर्धारित ऋण जोखिम मानदंडों का अनुपालन करने की शर्त के अंतर्गत बिना किसी सीमा के सह-स्वीकृत कर सकते हैं।

2.6.2.3 ऐसे उदाहरण हैं जिनमें बैंकों की शाखाएं अपने ग्राहकों की ओर से साखपत्र (एल /सी) खोलती हैं और ऐसे साखपत्रों के अंतर्गत बिलों को सह-स्वीकृत भी करती हैं। कानूनी रूप से यदि कोई बैंक अपने स्वयं के साखपत्र के अंतर्गत आहरित कोई बिल सह-स्वीकृत करता है तो इस प्रकार सह-स्वीकृत किया हुआ बिल एक स्वतंत्र दस्तावेज हो जाता है और वाणिज्यिक ऋणों पर लागू विशेष नियम ऐसे बिल पर लागू नहीं होते हैं तथा ऐसा बिल केवल विनिमय पत्रों से संबंधित कानून अर्थात् परक्राम्य लिखत अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसे बिल के बेचान-कर्ता बैंक पर साखपत्र की शर्तों के संदर्भ में बिल के विवरणों की जांच करने की कोई बाध्यता नहीं है। अत: यह प्रथा अनावश्यक है और इससे साखपत्र जारी करने का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। बट्टाकर्ता बैंकों को, पहले सह-स्वीकृत करने वाले बैंकों से अपने स्वयं के साखपत्र के अंतर्गत जारी बिलों की ऐसी सह-स्वीकृति के लिए कारण पता करने चाहिए और ऐसे लेनदेन की प्रामाणिकता के बारे में स्वयं संतुष्ट होने पर ही ऐसे बिलों को भुनाने पर विचार करना चाहिए।

2.6.2.4 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बिलों की सह-स्वीकृति के समय शाखा पदाधिकारी उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करते हैं। यह सूचित किया जाता है कि इस संबंध में स्पष्ट उत्तरदायित्व निश्चित किया जाना चाहिए और जो पदाधिकारी इन अनुदेशों का अनुपालन न करते हुए पाये जायें, उनके साथ सख्ती बरती जानी चाहिए।

2.7 साख पत्र के मामले में बरती जानेवाली सावधानी

2.7.1 माल के आयात के लिए साख पत्रों के मामले में बैंकों को शिपिंग दस्तावेजों के आधार पर विदेश स्थित आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। उन्हें ग्राहकों की तुलना करते समय सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। दस्तावेज साख पत्रों की शर्तों के पूरी तरह अनुरूप हैं यह सुनिश्चित करने के बाद ही विदेशी पार्टियों को भुगतान जारी करना चाहिए। साख पत्र संबंधी कारोबार में कई अनियमितताएं देखी गयी हैं, जैसे - साख पत्र लेनदेनों को साख पत्र जारी करनेवाले पदाधिकारियों द्वारा शाखा की बहियों में दर्ज नहीं किया जा रहा है, साख पत्र की राशि पदाधिकारियों को प्राप्त शक्तियों से कहीं अधिक मात्रा में होना, कपट पूर्ण ढंग से साख पत्र जारी करना जिसमें लाभान्विती और ग्राहक के बीच षडयंत्र/मिलीभगत होती है। ऐसे मामलों में यदि आपराधिक षडयंत्र शामिल हो तो, संबंधित अधिकारियों तथा जिस ग्राहक की ओर से साख पत्र खोला गया है उसके और साख पत्र के लाभान्विती के विरुद्ध बैंकों को कार्रवाई करनी चाहिए।

2.7.2 साख पत्र के अधीन दावों का निपटान

यदि साख पत्र के अधीन आहरित बिलों का भुगतान नहीं किया जाता है तो साख पत्र के स्वरूप तथा भुगतान के स्वीकृत माध्यम के रूप में संबंधित बिलों पर विपरीत असर पड़ेगा। इससे बैंकों के माध्यम से किये जानेवाले समूचे भुगतान तंत्र की साख भी प्रभावित होगी और बैंकों की छवि पर भी असर पड़ेगा। अत: बैंकों को चाहिए कि वे साख पत्र के अधीन अपनी वचनबद्धता को सकारें तथा तुरंत भुगतान करें।

2.8 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम ,2000 के विनियमों का अनुपालन

बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000, समय-समय पर यथासंशोधित, के तहत जारी निदेशों, विनियमनों को अनुपालन हेतु नोट करें।

2.9 विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन

बैंक समय-समय पर संशोधित आरबीआई द्वारा जारी सभी संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करेंगे.

अनुबंध 1

बैंक गारंटी बांड का संशोधित मॉडल फार्म
[पैराग्राफ 2.2.7.2 देखें]

गारंटी बांड

1. भारत के राष्ट्रपति (इसके बाद `सरकार' के नाम से अभिहित) द्वारा ........................... (इसके बाद `उक्त ठेकेदार (रों)' के नाम से अभिहित) का .... और ....के बीच .... के लिए किये गये दिनांक ....के एक करार (इसके बाद `उक्त करार' के नाम से अभिहित) के अंतर्गत ....रुपये (..रुपये मात्र) की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर उक्त ठेकेदार (रों) द्वारा, उक्त करार में निहित शर्तें विधिवत पूरी करने के लिए जमानत राशि से छूट प्रदान करने के लिए सहमत हो जाने के परिणामस्वरूप हम, ...इसके बाद `बैंक' नाम से अभिहित (बैंक का नाम इंगित करें)..(ठेकेदार/रों) के अनुरोध पर उक्त करार में निहित शर्तों में से ठेकेदार/रों द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किये जाने के कारण सरकार को हुई या होने वाली या वहन की गई हानि या क्षति के लिए सरकार को अधिकतम ....रुपये की राशि अदा करने का वचन देते हैं।

2. हम ....(बैंक का नाम इंगित करें) एतद्द्वारा इस गारंटी के अंतर्गत नियत और देय राशियां, सरकार द्वारा मात्र यह कहते हुए मांग करने पर कि दावा की हुई राशि उक्त ठेकेदार (रों) द्वारा उक्त करार में निहित किसी शर्त का उल्लंघन करने या उक्त ठेकेदार(रों) के उक्त करार को निष्पादित करने में असफल होने से हुई या होने वाली या सरकार द्वारा वहन की गयी हानि या क्षति के कारण देय हो गयी है, बिना किसी आपत्ति के अदा करने का वचन देते हैं। इस गारंटी के अंतर्गत नियत और बैंक द्वारा देय राशि के संबंध में बैंक से की गयी ऐसी कोई मांग निर्णायक होगी। तथापि इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता अधिकतम ....रुपये की राशि तक सीमित होगी।

3. हम इस संबंध में किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के समक्ष लंबित किसी वाद अथवा कार्यवाही में ठेकेदार (रों) / आपूर्तिकर्ता (ओं) द्वारा उठाये गये किसी विवाद या किन्हीं विवादों के होते हुए भी इस प्रकार मांगी गयी राशि सरकार को अदा करने का वचन देते हैं - इस विलेख के अंतर्गत हमारी देयता पूर्ण और असंदिग्ध है।

इस बांड के अंतर्गत हमारे द्वारा इस प्रकार किया हुआ भुगतान उसके अंतर्गत भुगतान के लिए हमारी देयता का वैध निर्वहन होगा और ऐसा भुगतान करने के लिए उक्त ठेकेदार (रों)/आपूर्तिकर्ता(ओं) का हम पर कोई दावा नहीं होगा।

4. हम, ...(बैंक का नाम इंगित करें) आगे यह सहमति प्रदान करते हैं कि इसमें निहित गारंटी उक्त करार के निष्पादन के लिए ली जाने वाली अवधि के दौरान पूरी तरह मान्य और प्रभावी होगी और उक्त करार के अंतर्गत या उसके कारण जब तक सरकार की सभी देय-राशियों का पूरी तरह भुगतान नहीं हो जाते या उसके दावे पूरे या उन्मोचित नहीं हो जाते या जब तक

....कार्यालय / विभाग /मंत्रालय इस आशय का प्रमाणपत्र नहीं दे देता है कि उक्त ठेकेदार (रों) द्वारा उक्त करार की शर्तें पूर्णरूपेण और समुचित रूप से पूरी कर दी हैं और तदनुसार इस गारंटी को उन्मोचित किया जाता है, तब तक यह जारी रहेगी। ....को या इससे पूर्व इस गारंटी के अंतर्गत यदि कोई मांग या दावा हम पर नहीं किया जाता है, तो इसके बाद हम इस गारंटी के अंतर्गत सभी देयताओं से मुक्त हो जायेंगे।

5. हम, ...(बैंक के नाम का उल्लेख करें) सरकार के साथ आगे करार करते हैं कि सरकार को, हमारी सहमति के बिना और इसके अंतर्गत किसी भी तरह से हमारे दायित्वों को प्रभावित किये बिना, उक्त करार की किसी शर्त में परिवर्तन करने या समय समय पर उक्त ठेकेदार(रों) द्वारा कार्यनिष्पादन का समय बढ़ाने या सरकार द्वारा उक्त ठेकेदार (रों) के प्रति प्रयोग किये जानेवाले अधिकारों को किसी समय के लिए या समय समय पर स्थगित करने और उक्त करार से संबंधित किसी शर्त का प्रयोग न करने या लागू करने की पूरी छूट होगी और सरकार द्वारा ऐसे किसी परिवर्तन या उक्त ठेकेदार (रों) के लिए बढ़ायी गयी किसी समयावधि या सरकार की किसी प्रतिरति कार्य या विलोपन या उक्त ठेकेदार (रों) के प्रति सरकार के किसी अनुग्रह या किसी मामले या वस्तु आदि जिनके कारण जमानतों से संबंधित कानून के अंतर्गत, इस उपबंध के न होने की स्थिति में, हम दायित्व मुक्त हो जाते, के होते हुए भी हम अपने दायित्व से मुक्त नहीं होंगे।

6. बैंक या उक्त ठेकेदार (रों) /आपूर्तिकर्ता(ओं) के गठन में परिवर्तन के कारण यह गारंटी उन्मोचित नहीं होगी।

7. हम, ...(बैंक के नाम का उल्लेख करें) अंत में यह वचन देते हैं कि लिखित रूप में सरकार की पूर्व सहमति के सिवाय हम इस गारंटी को इसकी चालू अवधि में प्रतिसंहत नहीं करेंगे।

8. ....(बैंक के नाम का उल्लेख करें) के वास्ते ....दिन।

अनुबंध 2

`गारंटियों तथा सह-स्वीकृतियों' पर मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्र. सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	बैंविवि.डीआईआर.बीसी.सं. 70/13.03.00/2015-16	07.01.2016	बैंक के गैर-घटक उधारकर्ताओं के लिए गैर-निधि आधारित सुविधा
2.	बैंविवि.बीपी.बीसी.सं. 40/21.04.142/2015-16	24.09.2015	कॉर्पोरेट बांडों में आंशिक ऋण वृद्धि
3.	बैंविवि. बीपी. बीसी. सं. 85/21.04.048/2014-15	06.04.2015	अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड – उधारकर्ताओं के प्रति एक्सपोजर का पुनर्वित्तपोषण
4.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 107/21.04.048/2013-14	22.04.2014	भारतीय कंपनियों के विदेश में संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों / पूर्ण स्वामित्व वाली स्टेप-डाउन सहायक कंपनियों को निधि/निधीतर आधारित ऋण सुविधाएं
5.	बैंपविवि. सं.बीपी. बीसी. 98/21.04.132/2013-14	26.02.2014	अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा – परियोजना ऋणों को पुनर्वित्त प्रदान करना, एनपीए का विक्रय तथा अन्य विनियामक उपाय
6.	मेल-बॉक्स स्पष्टीकरण	19.05.2011	वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सहकारी बैंकों के ग्राहकों को बैंक गारंटी (बीजी)/साखपत्र (एलसी) जारी करना
7.	बैंपविवि . बीपी. बीसी. 96/ 08.12.014/2009-10	23.04.2010	इनफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए अग्रिमों पर विवेकपूर्ण मानदंड
8.	बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी.136/13.03.00/2008-09	29.05.2009	बैंकों द्वारा गारंटियों का निर्गम
9.	बैंपविवि . सं. बीपी. बीसी. 127/ 21.04.009/ 2008-09	22.04.2009	गारंटी का विस्तार - दस वर्ष से अधिक अवधिपूर्णता
10.	मेल-बॉक्स स्पष्टीकरण	15.04.2009	स्व-नवीकरण खंड के साथ बैंक गारंटी
11.	मेल-बॉक्स स्पष्टीकरण	27.05.2008	बैंक गारंटी पर हस्ताक्षर करना
12.	बैंपविवि. सं.डीआइआर. बीसी.72/13.03.00/2006-07	03.04.2007	निर्यात अग्रिम के लिए गारंटियां
13.	बैंपविवि . सं.डीआइआर. बीसी. 51/ 13.03.00/2006-07	09.01.2007	पण्य बाजारों में बैंकों का एक्सपोज़र-मार्जिन अपेक्षाएं
14.	बैंपविवि . सं.डीआइआर. बीसी. 35/13.07.10/2006-07	11.10.2006	गारंटियां एवं सह-स्वीकृतियां

15.	बैंपविवि . बीपी. बीसी. सं. 97/ 21.04.141/2003-04	17.06.2004	वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - गैर-जमानती एक्सपोज़रों पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश
16.	आइईसीडी. सं. 17/ 08.12.01/ 2002-03	05.04.2003	गारंटियां एवं सह-स्वीकृतियां
17.	बैंपविवि . बीपी. बीसी. 47/ 21.04.141/2002	13.12.2002	गैर-जमानती गारंटियों तथा अग्रिमों की सीमा
18.	बैंपविवि . बीपी. बीसी. 39/21.04.141/2002-03	06.11.02	गैर-जमानती गारंटियों तथा अग्रिमों की सीमा से समूह गारंटी के लिए स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) को स्वीकृत अग्रिमों से छूट
19.	बैंपविवि . बीपी. बीसी. 90/21.04.141/ 2001-02	18.04.02	गैर-जमानती अग्रिमों तथा गारंटियों से संबंधित मानदंडों से क्रेडिट कार्ड बकाया का अपवर्जन
20.	आइईसीडी सं. 16/ 08.12.01/ 2001-02	20.02.02	इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का वित्तपोषण
21.	बैंपविवि . बीपी. बीसी. 119/ 21.04.137/2000-02	11.05.01	इक्विटी को बैंक का वित्तपोषण तथा शेयरों में निवेश - संशोधित दिशानिर्देश
22.	बैंपविवि . सं. बीपी. बीसी. 78/ 21.04.099/99	04.08.99	बैंक गारंटी
23.	आइईसीडी सं. 26/ 08.12.01/ 98-99	23.04.99	इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का वित्तपोषण
24.	बैंपविवि . सं. बीपी. बीसी. 16/ 21.04.099/97	28.02.97	बैंक गारंटियों के अंतर्गत भुगतान - मामलों का त्वरित निपटान
25.	बैंपविवि . सं. डीआइआर. बीसी. 90/13.07.05/98	28.08.98	शेयरों तथा डिबेंचरों पर बैंक वित्त - मास्टर परिपत्र
26.	आइईसीडी सं. 21/ 08.12.01/97	21.02.97	पॉवर फाइनांस कार्पोरेशन (पीएफसी) द्वारा संचालित बिल भुनाई योजना /पुनर्भुनाई योजनाएं
27.	आइईसीडी सं. 37/ 08.12.01/ 94-95	23.02.95	वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में बैंक गारंटी का निर्गम
28.	आइईसीडी सं. 21/ 08.12.01/ 94-95	01.11.94	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित बिल भुनाई योजनाएं
29.	बैंपविवि . सं. बीपी. बीसी. 194/ 21.04.099/93	22.11.93	बैंक गारंटियों के अंतर्गत भुगतान - मामलों का त्वरित निपटान
30.	बैंपविवि . सं. बीसी. 185/ 21.04.009-93	21.10.93	बैंक गारंटी निर्णयों की सत्यापित प्रतिलिपियां प्राप्त करने में विलंब
31.	बैंपविवि . सं. बीसी. 20/ 17.04.001/92	25.08.92	बैंकों में धोखाधड़ियों तथा कदाचारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने की समिति
32.	बैंपविवि . सं. बीपी. बीसी. 53/ सी. 473-91	27.11.91	बैंक गारंटियों के अंतर्गत भुगतान - मामलों का त्वरित निपटान

33.	बैंपविवि . सं. डीआइआर. बीसी. 35/सी.96 (ज़ेड)-90	22.10.90	बैंक गारंटी योजना
34.	आइईसीडी. सं. पीएमडी. बीसी. 12/सी. 446 (सी एंड पी)-90/91	21.09.90	वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में गारंटियों की सह-स्वीकृति /निर्गम - क्रेता का ऋण योजना लाइन (बीएलसीएस)
35.	बैंपविवि . सं. डीआइआर. बीसी. 11/सी. 96-89	09.08.89	बैंक गारंटी योजना
36.	बैंपविवि . सं. बीपी. बीसी. 124/सी. 473-89	31.05.89	बैंक गारंटियों के अंतर्गत भुगतान - मामलों का त्वरित निपटान
37.	बैंपविवि . सं. आईएनएफ. बीसी. 73/सी. 109(एच)-89	15.02.89	बैंक गारंटी योजना
38.	आइईसीडी. सं. पीएमएस. 207/ सी.446 (सी एंड पी)-87/88	29.06.88	सहायता संघ आधार पर अग्रिम - नए निवेश के संबंध में बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वयन
39.	आइईसीडी. सं. एफईडी. 197/ 822-डब्ल्यूजीएम-एमओडी-88	30.01.88	परियोजना निर्यात - भारतीय संविदाकारों को ऋण सुविधाओं की मंजूरी
40.	बैंपविवि . सं. बीपी. बीसी. 71/सी.473-87	10.12.87	बैंक गारंटियों के अंतर्गत भुगतान - मामलों का त्वरित निपटान
41.	बैंपविवि . सं. बीपी. बीसी. 11/ सी.473-87	10.02.87	लागू की गई गारंटियों का भुगतान
42.	बैंपविवि . एसआइसी. बीसी. 5ए/ सी.739 (ए-1)-87	29.01.87	बैंकों द्वारा जारी साख पत्रों के अंतर्गत आहरित बिलों की सह-स्वीकृति
43.	बैंपविवि . सं. बीपी. बीसी. 130/ सी.473-86	15.11.86	बैंक गारंटी
44.	बैंपविवि . सं. आइएनएफ. बीसी. 45/सी.109 (एच)-86	09.04.86	बैंक गारंटी योजना
45.	बैंपविवि . सं. बीपी. बीसी. 28/ सी.469 (डब्ल्यू)-86	07.03.86	बैंक लिखत जारी करने के लिए सुरक्षाएं
46.	बैंपविवि . सं. बीपी. बीसी. 18/ सी.473-86	24.02.86	बैंक गारंटी
47.	आइईसीडी. सं. पीएमएस. 129/सी.446 (पीएल)-85	11.10.85	सीएएस-आईडीबीआई बिल पुनर्भुनाई योजना
48.	बैंपविवि . सं. बीपी. बीसी. 111/ सी.469 (डब्ल्यू)-85	02.09.85	बैंक लिखत, आदि जारी करने के लिए सुरक्षा उपाय
49.	बैंपविवि . सं. एलईजी. बीसी. 77 /सी. 235सी-85	05.07.85	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20
50.	बैंपविवि . सं. डीआइआर. बीसी. 25/सी. 96-84	26.03.84	वाणिज्य बैंकों द्वारा अंतर कंपनी जमा/ऋणों की गारंटी

51.	आइईसीडी. सं. सीएडी.82/ सी.446 (एचएफ-पी)-84	02.02.84	राज्य आवास परिषदों तथा इसी प्रकार के निकायों को ऋण के संबंध में हुडको के पक्ष में बैंकों द्वारा प्रस्तुत गारंटी
52.	बैंपविवि . सं. जीसी. एसआइसी. बीसी. 97/ सी.408 (ए)-83	26.11.83	बैंकों द्वारा साख पत्रों को खोलना, गारंटी जारी करना तथा बिलों की सह-स्वीकृति
53.	बैंपविवि . सं. डीआइआर. बीसी. 44/सी.96-83	30.05.83	वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंतर कंपनी जमा/ऋणों की गारंटी
54.	बैंपविवि . सं. बीपी. 678/ सी. 473-83	11.01.83	बैंक गारंटी
55.	बैंपविवि . सं. सीएलजी. बीसी. 91/सी. 109 (एच)-82	30.09.82	बैंक गारंटी योजना
56.	आइसीडी. सं. सीएडी. 18/ सी. 446-82	10.02.82	बैंक गारंटी - सकारना
57.	बैंपविवि . सं. आइएनएफ. बीसी. 103/ सी.109-80	11.09.80	बैंक गारंटी योजना
58.	बैंपविवि . सं. सीएलजी. बीसी. 21/सी. 109(एच)-80	08.02.80	बैंक गारंटी योजना
59.	बैंपविवि . सं. डीआइआर. बीसी. 122/ सी.107 (एन)78	20.09.78	वाणिज्य बैंकों द्वारा अंतर कंपनी जमा/ऋणों की गारंटी
60.	बैंपविवि . सं. सीएलजी. बीसी. 1/सी. 109 -78	02.01.78	बैंक गारंटी योजना
61.	बैंपविवि . सं. ईसीसी. बीसी. 77/ सी. 297एल (1-ए)-78	07.06.78	भारतीय निर्यातकों की तरफ से विदेश स्थित नियोजकों/ आयातकों के पक्ष में भारतीय बैंकों द्वारा जारी बिना शर्त गारंटी
62.	बैंपविवि . सं. ईसीसी. बीसी. 89/ सी.297एल (1-डी)-76	04.08.76	बोली बांड तथा कार्य-निष्पादन गारंटी
63.	बैंपविवि . सं. एफओआइ. बीसी. 9/ सी.249-76	20.01.76	अंतर-कंपनी जमाराशियों/ऋणों पर वाणिज्य बैंकों द्वारा बिलों/गारंटियों की सह-स्वीकृति
64.	बैंपविवि . सं. जीसीएस. बीसी. 25/सी. 107 (एन)-74	01.04.74	वाणिज्य बैंकों द्वारा अंतर कंपनी जमा/ऋणों की गारंटी
65.	बैंपविवि . सं. एससीएच. बीसी. 88/सी. 96 (एस)-72	10.10.72	भारतीय प्रत्यय गारंटी निगम लि . द्वारा गारंटीकृत गैर-जमानती अग्रिम
66.	बैंपविवि . सं. बीएम. बीसी. 81/ सी.297 (पी)-72	14.09.72	बोली बांड तथा कार्य-निष्पादन गारंटी
67.	बैंपविवि . सं. एससीएच. बीसी. 68/सी. 109 - 72	31.07.72	बैंक गारंटी योजना
68.	बैंपविवि . सं. एससीएच. बीसी. 27/सी. 96 (एस) - 72	24.03.72	गैर-जमानती अग्रिमों/गारंटियों से संबंधित मानदंडों के प्रयोजन के लिए इनलैंड डी/ए बिलों के संबंध में छूट जारी रखना

69.	बैंपविवि . सं. एससीएच. बीसी. 1610/सी. 96 (एस) - 70	23.10.70	गैर-जमानती अग्रिम तथा गारंटियां
70.	एनएटी 2002/सी. 473 - 70	29.7.70	दिशानिर्देश जिनके अंतर्गत गारंटियों पर विचार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है
71.	बैंपविवि . सं. एससीएच. बीसी. 1051/सी. 96 (एस) - 69	01.07.69	परेषण आधार पर निर्यातकों को दिए जाने वाले गैर-जमानती अग्रिम जिन्हें मानदंड के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाता है
72.	बैंपविवि . सं. एससीएच. बीसी. 1001/सी. 96 (ज़ेड) - 69	23.06.69	बैंक गारंटियां
73.	बैंपविवि . सं. एससीएच. बीसी. 2381/सी. 96 (ज़ेड) - 68	14.08.68	बैंक गारंटियां
74.	बैंपविवि . सं. एससीएच. बीसी. 2342/सी. 96 (एस) - 68	08.08.68	बही कर्ज पर अग्रिम
75.	बैंपविवि . सं. एससीएच. बीसी. 481/सी. 96 (एस) - 68	30.03.68	गैर-जमानती अग्रिम
76.	बैंपविवि . सं. एससीएच. बीसी. 421/सी. 96 (एस) - 68	19.03.68	गैर-जमानती अग्रिम - केंद्र/राज्य सरकारों को आहरित आपूर्ति बिलों पर अग्रिम
77.	बैंपविवि . सं. एससीएच. बीसी. 359/सी. 96 (एस) - 68	07.03.68	गैर-जमानती अग्रिम - 90 दिवसीय मीयाद वाले इनलैंड डी/ए बिल
78.	बैंपविवि . सं. एससीएच. बीसी. 68/सी. 96 (एस) - 68	12.01.68	गैर-जमानती अग्रिम - दिशानिर्देश
79.	बैंपविवि . सं. एससीएच. बीसी. 1850/सी. 96 (ज़ेड) - 67	07.12.67	बैंक गारंटियां
80.	बैंपविवि . सं. एससीएच. बीसी. 1794/सी. 96 (ज़ेड) – 67	29.11.67	बैंक गारंटियां
81.	बैंपविवि . सं. एससीएच. बीसी. 1693/सी. 96 (एस) - 67	08.11.67	शेयरों तथा गैर-जमानती अग्रिमों पर अग्रिम - दिशानिर्देश
82.	बैंपविवि . सं. एससीएच. बीसी. 1296/सी. 96 (ज़ेड) - 67	21.08.67	बैंक गारंटियां
83.	बैंपविवि . सं. एससीएच. बीसी. 1069/सी. 96 (ज़ेड) - 67	11.07.67	बैंकों का गारंटी व्यवसाय - दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण
84.	बैंपविवि . सं. एससीएच. बीसी. 666/सी. 96 (ज़ेड) - 67	03.05.67	बैंकों द्वारा किए गए गारंटी व्यवसाय के लिए दिशानिर्देश तथा मानदंड